कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 6804 / FP/UK/ROAD/13374/2015 :देहरादूनः दिनांकः 21 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.734 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/13374/2015)**

संदर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/226/2015/एफ0सी0/1059 दिनांक 22.09.2017।**

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–952/12–1–2 दिनांक 20.09.2022 (प्रति संलग्न) एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 1002/12–1–2 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.468 है0 ग्राम–चौड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.468 है0 ग्राम–चौड़ा सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रू0 23,98,547.00 (तेईस लाख अट्ठानब्बे हजार पॉच सौ सैंतालीस) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–01)** उक्त सिविल भूमि को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 31,10,238.00 (इकतीस लाख दस हजार दो सौ अड़तीस रू0 मात्र) 4.734 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु

	5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रू0 23,98,547.00 (तेईस लाख अट्ठानब्बे हजार पॉच सौ सैंतालीस) मात्र जमा कर दी गयी है, तथा 4.734 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)रू0 31,10,238.00 (इकतीस लाख दस हजार दो सौ अड़तीस रू0 मात्र) रू0 ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तथा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।**(संलग्न–4)**
6	State Govt. will provide hard copy of the reply of this office EDS dated 06.09.2016	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित EDS की हॉर्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–5)**
7	State will provide original hard copy of geo-referenced map for diversion ares CA area, FRA, Certificate, CA Scheme and suitability certificate.	प्रस्तावक विभाग द्वारा geo-referenced map for diversion ares CA area, FRA, Certificate, CAScheme and suitability certificate. संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का संरक्षित वन सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–6)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या– 904 / FP/UK/ROAD/13374/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–952/12–1–2 दिनांक 20.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।